

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3236 / अलीगढ़ / 13877 / 2015, अलीगढ़: दिनांक: जनवरी, 31- ,2022

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
2314, तीसरी मंजिल, टॉवर ए,
द कोरेन्थम, ए-41, सेक्टर-62,
नोएडा-201309 (उ०प्र०)।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं०- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/40/2017/एफ०सी०/609 दिनांक 03.01.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 11सी-2071/FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 11.01.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं०- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के क्रम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

1. शर्त संख्या- 1 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The Legal status of the forest land shall remain unchanged".
2. शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु- 128600.00 (एक लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें। वृक्षारोपण कार्य कांटेदार तार के अन्तर्गत तारबाड़ सुरक्षा में किया जायेगा।
3. शर्त संख्या-4 के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.II) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009, 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि 9,57,780/- की दर से 0.075012 X 9,57,780 = 71,845.00 (इकहत्तर हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें।
4. शर्त संख्या- 5 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency"

5. शर्त संख्या- 6 के अनुपालन में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं ब्याज की गणना के अनुसार रू0 2,41,399.00 (दो लाख इक्तालीस हजार तीन सौ नयान्चे मात्र) धनराशि ई-पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी एवं Online Payment History की छायाप्रति प्रेषित की जायेगी।
6. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "User agency shall restrict the felling of trees to minimum number-in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department."
7. शर्त संख्या- 8 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Greenery will be maintained by the user agency around the Periphery of petrol pump".
- 8- शर्त संख्या- 10 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall."
- 9- शर्त संख्या- 11 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station".
- 10- शर्त संख्या- 13 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer."
- 11- शर्त संख्या- 14 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of user agency or the project life, whichever is less."
- 12- शर्त संख्या- 17 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Changes may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife."
- 13- शर्त संख्या- 18 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत करें कि All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>)
- 14- शर्त संख्या- 19 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत करें कि The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in>)

अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं Online Payment History की प्रति पृथक-पृथक 05 प्रतियों में मूल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करायें।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रस्तावित परियोजना का नाम- एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 27 (चैनेज 26.320) दांयी पटरी खसरा नं0 537, ग्राम-बिसावली, तहसील-इगलास, जिला-अलीगढ़ प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग तथा उस पर अवस्थित 7 वृक्षों के पातन की अनुमति।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित क्षेत्र का नाम- टुआमई वन ब्लाक

रेंज का नाम- अलीगढ़ रेंज

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 100

भूमि का प्रकार- ऊसर

(अ) प्रथम चरण- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दरप्रति	धनराशि (रु0में)
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	0.16	प्रति है0	56.23	9
2	क्षेत्र की झाड़ी सफाई	0.16	प्रति है0	411.39	66
3	मृदा परीक्षण	1.00	प्रति है0	447.72	448
4	गड्डों का पंक्तिबंधन	100	प्रति गड्डा	0.35	35
6	गड्डों का खुदान (0.60x0.60x0.60 समी0)	100	प्रति गड्डा	20.09	2009
7	ऊसर भूमि हेतु जिप्सम व बालू का क्रय	100	प्रति गड्डा	8.43	843
8	आर0सी0सी0 खंभों का मूल्य कर सहित (0.15x0.10x1.80)	8	प्रति मी0	404.00	3232
9	कांटेदार तार का मूल्य	0.024	प्रति मी0	84892.00	2037
10	अन्य व्यय	0.16	ल0स0	1100	176
योग					8855
द्वितीय चरण - वृक्षारोपण					
1	गोबर खाद क्रय @ 2 किग्रा प्रति गड्डा	200	प्रति	11.38	2276
2	गड्डों में कीटनाशक दवा, जिप्सम व बालू मिलाकर गड्डा भरना	100	प्रति	1.6	160
3	पौध क्रय करना 3 प्रतिशत क्षति सहित बड़ी थैली पौध	103	संख्या	80	8240
4	पौध का दुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	103	संख्या	20.09	2069
5	पौधों का स्थानीय दुलान - बड़ी थैली पौध	100	संख्या	6.82	682
6	पौधारोपण, थावला बनाना, रोपण के बाद तुरन्त सिंचाई बड़ी थैली पौध	100	संख्या	5.62	562
7	पौधों की सिंचाई 12 बार (12X100)	1200	संख्या	3.32	3984
8	पौधों की निराई गुड़ाई 2 बार	200	संख्या	1.28	256
9	रासायनिक उर्वरक एक बार	0.16	एक मुश्त	600.00	96
10	आर0सी0सी0 खंभों की ग्राउटिंग (6:3:1 सीमेन्ट कंकीट)	8	प्रति	225.00	1800
10	खंभों का स्थानीय दुलान	8	प्रति मी0	3.77	30.16
11	तार की खिंचाई	160	प्रति र0मी0	0.97	155.2
12	वृक्षारोपण श्रमिक (जुलाई से मार्च)	156	प्रतिदिन	201.00	31356
13	वृक्षारोपण बोर्ड बनाना, लिखाना तथा स्थल पर ले जाकर लगाना	1	संख्या	2500.00	2500
14	ट्रैक्टर आदि की मरम्मत आदि	0.16	प्रति	750.00	120
15	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	1100.00	176
योग-					54463
रख-रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण (तृतीय चरण)					
1	सिंचाई विभागीय टैंकर व टैंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित, 12 बार	1200	प्रति पौध	3.32	3984
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	300	संख्या	1.28	384
3	रासायनिक उर्वरक एक बार	0.16	प्रति	600.00	96
4	बोटिंग अप कार्य- 10 प्रतिशत				
अ	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु गड्डा खुदान	10	प्रति	20.09	201
ब	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु पौध क्रय	10	प्रति	80.00	800
स	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु पौध दुलान	10	प्रति	20.09	201
ड	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु पौध का स्थानीय दुलान	10	प्रति	6.82	68
इ	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण, थावला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	10	प्रति	5.62	56
5	तारबाड़ मरम्मत आदि	0.16	प्रति	1100.00	176
6	वृक्षारोपण ट्रैक्टर व टैंकर आदि की मरम्मत	0.16	प्रति	750.00	120
7	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक	78.00	प्रति दिन	201.00	15678
8	अन्य व्यय-	0.16	अनुमानित	1100.00	176
योग-					21940
रख-रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण (चतुर्थ चरण)					

1	पौधों की सिंचाई 8 बार	800	संख्या	3.32	2656
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 2 बार	200	संख्या	1.28	256
3	रासायनिक उर्वरक एक बार	0.16	प्रति	600.00	96
4	तारबाड़ मरम्मत आदि	0.16	प्रति है०	1100.00	176
5	टैक्टर, टैकर आदि की मरम्मत	0.16	प्रति है०	600.00	96
6	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	15	दिन	201	3015
7	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	550.00	88
योग-					6383
रख-रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण (पंचम चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	300	संख्या	3.32	996
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	100	संख्या	1.28	128
3	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.16	प्रति है०	1100.00	176
4	टैक्टर, टैकर आदि की मरम्मत	0.16	प्रति है०	6.60	1
5	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		1000
6	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201	2010
7	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	600.00	96
योग-					4407
रख-रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण (छटा चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	300	संख्या	3.32	996
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	100	संख्या	1.28	128
2	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.16	है०	1100.00	176
3	आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छटाई	30	प्रति पौध	6.60	198
4	रखरखाव		ल०स०		1000
5	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
6	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	600.00	96
योग-					4604
रख-रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण (सातवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	300	संख्या	3.32	996
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	100	संख्या	1.28	128
3	तारबाड़ की मरम्मत आदि	0.16	है०	1100.00	176
4	रखरखाव		ल०स०		1000
5	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
6	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	600.00	96
योग-					4406
रख-रखाव षष्ठम वर्ष अनुरक्षण (आठवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	300	संख्या	3.32	996
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	100	संख्या	1.28	128
3	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
4	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		1000
5	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	600.00	96
योग-					4230
रख-रखाव सप्तम वर्ष अनुरक्षण (नवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	300	संख्या	3.32	996
1	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		1300
3	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	600.00	96
योग-					4402
रख-रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण (दसवां चरण)					
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		1000
2	अन्य व्यय	0.16	अनुमानित	600.00	96

योग-				1096
रख-रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण (ग्यारवां चरण)				
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल0स0	1000
2	अन्य व्यय		अनुमानित	93
योग-				1093
रख-रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण (बारहवां चरण)				
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल0स0	1000
2	अन्य व्यय		अनुमानित	30
योग-				1030
सारांश:-		योग	10 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि	कुल योग
प्रथम चरण अग्रिम मूदा कार्य-				
द्वितीय चरण वृक्षारोपण-		8855	885	9740
तृतीय चरण रख-रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण-		54463	5446	59909
चतुर्थ चरण रख-रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण-		21940	2194	24134
पंचम चरण रख-रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण-		6383	638	7021
छटा चरण रख-रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण-		4407	441	4848
सातवां चरण रख-रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण-		4604	460	5064
आठवां चरण रख-रखाव छठम वर्ष अनुरक्षण-		4406	441	4847
नवां चरण रख-रखाव सातवां वर्ष अनुरक्षण-		4230	423	4653
दसवां चरण रख-रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण-		4402	440	4842
ग्यारवां चरण रख-रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण-		1096	110	1206
बारहवां चरण रख-रखाव दसवां वर्ष अनुरक्षण-		1093	110	1203
योग:-		1030	103	1133
		116909	11691	128600
कुल अनुमानित व्यय		या		128600

Roahi

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537, तहसील-इगलास में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 07 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु सं0 B (ii) के अनुसार निम्न प्रकार Penalty की गणना की जाती है।

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0- प्रभावित वन भूमि (0.075012) X 9,57,780 =	71,845.00
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण - 3 x 71,845 =	2,15,535.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 2,15,535 x 12% =	25,864.00
4. कुल योग-	2,41,399.00

(शब्दों में - दो लाख इक्तालीस हजार तीन सौ नियान्वे मात्र)


(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।